

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट मुकाम सरदारनगर

: : मूल वाद मे अंतिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी : रतनलाल रेगर
आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 161/2013 राजस्व वाद

अनवान

1. सुमन देवी पत्नि राजकुमार त्रिवेदी नि0 शारदा प्रेस भवन आजाद नगर चौक, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

-----वादी

बनाम

1. सीमादेवी पत्नि कैलाशचन्द्र त्रिवेदी नि0 शारदा प्रेस भवन आजाद नगर चौक, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)
2. भैरू पिता नन्दा ओड निवासी चमनपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. कौशल्यादेवी पत्नि अशोक कुमार मालू निवासी आजाद चौक भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेडा जिला भीलवाड़ा (राज.)

-----प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0टी0ए0 बाबत कराये जाने विभाजन आराजियात

उपस्थित -


1. श्री ईकबाल मोहम्मद छीपा (अधिवक्ता वादी) उपस्थित
2. श्री अरुण चन्द्र देराश्री (अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02) उपस्थित

राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट मुकाम सरदारनगर मे वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। आज दिनांक 15.05.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादपत्र में अन्तिम डिक्री दी जाती हैं कि -

वादी का वादपत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 53, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मध्य मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम चमनपुरा पटवार क्षेत्र चमनपुरा की वर्तमान जमाबन्दी प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस अनुसार वादीया एवं प्रतिवादी क्रम 01 लगायत 03 के मध्य निम्नानुसार विभाजित किये जाने की आज्ञा प्रदान की जाती है। विभाजन प्रस्ताव एवं हस्ताक्षरित/प्रमाणितशुदा नक्शाट्रेस को उक्त डिक्री का अभिन्न अंग घोषित किया जाता है-

1. भैरू पिता नन्दा ओड सा0देह खातेदार

आ0न0	रकबा	लगान
344/1	0.06 बीघा	0.81
345/1	0.07 बीघा	0.95
356/1	0.06 बीघा	0.81
कुल 03	रकबा 0.19 बीघा	2.57


उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा (राज)

2. सुमनदेवी पत्नि राजकुमार त्रिवेदी, सीमादेवी पत्नि कैलाश चन्द्र त्रिवेदी 5/8 सा0शारदा प्रेस भवन भीलवाडा कोशल्या देवी पत्नि अशोक कुमार मालु 1/8 सुमनदेवी पत्नि राजकुमार त्रिवेदी 1/8 सा0 आजाद चौक भीलवाडा

आ0न0	रकबा	
344	0.17	2.30
345	0.14	1.89
348	0.17	4.65
352	0.07	1.35
353	1.10	7.80
354	0.02	—
355	1.16	9.75
356	0.12	1.62
कुल किता 8	रकबा 6-15 बीघा	29.36

उक्तानुसार भूमि वादी तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के मध्य क्रम संख्या 1 से 2 अनुसार रहेगा। तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादीया के हक हिस्से की विभाजित आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करें। डिक्की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।

आज दिनांक 15.05.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम सरदारनगर में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतमलाल रेगार)
उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिल्हा भीलवाडा (राज)

दिनांक 15.05.2017

प्रतिलिपि:— पालनार्थ तहसीलदार बनेडा को प्रेषित हो।
सलग्न विभाजन प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति

उपखण्ड अधिकारी, बनेडा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिल्हा भीलवाडा (राज)